उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा विभाग
संख्या : 142/xxxiv(6)/09
देहरादून : दिनांक 26 मई, 2009

कार्यालय-ज्ञापन

शासन की अधिसूचना संख्या : 142/XXIV(6)/2009 दिनांक 28,अप्रेल 2009 द्वारा दून विश्वविद्यालय की परिनियमावली, 2009 प्रख्यापित की जा चुकी है । प्रश्नगत् परिनियमावली की प्रति निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

(इन्दुधर बौड़ाई)
अपर सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या : 142/VIII/XXIV(6)/2009 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को प्रश्नगत् परिनियमावली की एक प्रति सहित प्रेषित ।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, देहरादून को प्रश्नगत् परिनियमावली की पाँच प्रतियों सहित प्रेषित ।
3. कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून को प्रश्नगत् परिनियमावली की दस प्रतियों सहित प्रेषित ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी को प्रश्नगत् परिनियमावली की एक प्रति सहित सूचनार्थ ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को प्रश्नगत् परिनियमावली की एक प्रति इन्टरनेट पर अपलोड किए जाने हेतु ।
6. वैभागीय आदेश पुस्तिका ।

(इन्दुधर बौड़ाई)
अपर सचिव ।

# उत्तराखण्ड शासन

## शिक्षा अनुभाग–6

## दून विश्वविद्यालय, केदारपुर, देहरादून की प्रथम परिनियमावली, 2009

### अधिसूचना

28 अप्रैल, 2009 ई0

संख्या 142/XXIV(6)/2009–दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 23 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, दून विश्वविद्यालय के संचालन हेतु निम्नलिखित प्रथम परिनियम बनाते हैं–

1–संक्षिप्त शीर्ष और प्रारम्भ [धारा 23 (1)]–

(1) इस परिनियमावली का संक्षिप्त शीर्षक दून विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 है।

(2) यह परिनियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2–परिभाषाएं–

इन परिनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) 'शैक्षिक क्रिया कलाप' से विश्वविद्यालय के शिक्षण, शोध, ज्ञान/सूचना का प्रसार अभिप्रेत है;

(ख) 'अधिनियम' से दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ग) 'केन्द्र' से विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान किए जाने के लिए शैक्षिक गतिविधियां निष्पादन करने हेतु स्थापित शैक्षिक केन्द्र/अध्ययन केन्द्र अभिप्रेत है;

(घ) 'अध्यक्ष' से विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष और केन्द्र अथवा प्रभाग अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुलसचिव' और 'वित्त अधिकारी' से क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी अभिप्रेत हैं;

(च) 'मुख्य छात्रावास अधीक्षक', 'छात्रावास अधीक्षक', और 'सहायक छात्रावास अधीक्षक' से क्रमशः विश्वविद्यालय के छात्रावास के मुख्य छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक और सहायक छात्रावास अधीक्षक अभिप्रेत है;

(छ) 'संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) से विश्वविद्यालय के अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) अभिप्रेत है;

(ज) 'संकाय विकास समिति' से संकाय की विकास समिति अभिप्रेत है;

(झ) 'संकाय चयन समिति' से संकाय की चयन समिति अभिप्रेत है;

(ञ) 'छात्रावास' से विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए आवास अभिप्रेत है;

(ट) विश्वविद्यालय के 'अधिकारी', 'प्राधिकारी', 'कोर्ट (सभा)', 'कार्य परिषद्', 'शैक्षिक (विद्वत) परिषद्' और 'संकाय' से क्रमशः विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राधिकारी, सभा, कार्य परिषद्, शैक्षिक (विद्वत) परिषद् और संकाय अभिप्रेत हैं;

(ठ) 'विहित' से अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) 'आचार्य/प्राध्यापक', 'सह–आचार्य/सह प्राध्यापक', 'सहायक आचार्य/सहायक प्राध्यापक' से विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप नियुक्त प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक अभिप्रेत हैं;

(ढ) 'स्कूल संकाय परिषद्' से स्कूल का संकाय परिषद् अभिप्रेत है;

(ण) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(त) 'विश्वविद्यालय' से दून विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(थ) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है।

3–कुलपति (धारा–11)–

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, जो तीन वर्ष की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करेगा;

(2) कुलपति का वेतनमान ऐसा होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय और वह ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा, जैसे विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को अनुमन्य होंगे :

परन्तु यह कि कुलपति की सेवाओं की शर्तों एवं निबंधनों में उसकी कार्यावधि में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी मामले मे कुलपति पेंशनधारी हो या पेंशन पाने के लिए अर्ह हो तो उसकी परिलब्धियां राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(3) कुलपति को निःशुल्क सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका रखरखाव विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(4) कुलपति को अनुमन्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते ऐसे होंगे, जैसे कार्य परिषद् द्वारा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अवधारित किये जाएं। वह निशुल्क चिकित्सा सुविधा और उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर यथा संशोधित शर्तों और दरों पर विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर बाह्य चिकित्सकीय सहायता के लिए संदर्भित किए जाने पर चिकित्सा मूल्य के समतुल्य प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।

(5) कुलपति, विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को अनुमन्य अवकाश के अनुरूप अवकाश प्राप्त करने का हकदार होगा।

(6) यदि कुलपति तीन माह से कम की अवधि के लिए किसी भी कारणवश अवकाश पर हो तो वह प्रति-कुलपति, यदि उपलब्ध हो, या विश्वविद्यालय के संकाय में से योग्य वरिष्ठतम सदस्य अथवा संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) को कुलपति के पद पर नियुक्त करेगा।

(7) यदि किसी मामले में कुलपति ने तीन माह से अधिक अवकाश या उसके अवकाश की अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी कारण से कार्यभार ग्रहण न किया गया हो, या ऐसी रिक्ति, जिसे शीघ्रता से नहीं भरा जा सकता हो, तो कुलाधिपति छः माह की अवधि या कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख तक, इसमें जो भी कम हो, के लिए विश्वविद्यालय में प्रति-कुलपति या वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। कुलाधिपति ऐसे मामले में कुलपति की नियुक्ति की अवधि को विस्तारित कर सकता है, परन्तु ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4-कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य [धारा 11 (6)]-

(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षिक अधिकारी होगा और सम्पूर्ण शैक्षिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों, अनुशासन और दक्षता की प्रगति के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् और शैक्षिक (विद्वत) परिषद् की बैठकें अध्यक्ष के रूप में आहूत करेगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय में कुलाधिपति की अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) कुलपति, विश्वविद्यालय के आय-व्ययक, लेखा विवरण एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) आपात स्थिति घटित होने में, तुरन्त अपेक्षित कार्रवाई के लिए कुलपति अपनी ओर से ऐसी कारवाई जैसा आवश्यक हो, कर सकेगा और वह अधिकारी/अधिकारियों या प्राधिकारी/प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई किए जाने की प्रत्याशा में निर्णय ले सकेगा।

(6) कुलपति नियुक्तियों, निलम्बन, पदच्युति या संकाय के सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनके लिए कार्य परिषद् नियुक्ति प्राधिकारी है, के संबंध में कार्य परिषद् के निर्देशों को प्रभावी करेगा।

(7) कुलपति, कार्य परिषद् के परामर्श के उपरान्त, विश्वविद्यालय में प्रत्येक शाखा के लिए संकाय चयन समिति/समितियों को नियुक्तियों को सुकर बनाने के लिए उपलब्ध विशेषज्ञों में से पाँच विशेषज्ञों का एक पैनल राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा। पैनल तीन वर्षों की अवधि के लिए मान्य रहेगा।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

5–प्रतिकुलपति (धारा 12)–

(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति स्कूलों के संकायाध्यक्षें / केन्द्रों के निदेशकों / विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों मे से की जायेगी।

(2) प्रतिकुलपति की नियुक्ति की अवधि कुलपित की अवधि के साथ ही समाप्त हो जायेगी।

(3) प्रतिकुलपति को निःशुल्क सुविधाओंयुक्त आवास उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रतिकुलपति, कुलपति द्वारा समय–समय पर विर्निदिष्ट कार्यों में सहायता करेगा एवं ऐसी अन्य शक्तियों और दायित्वों का निर्वहन करेगा, जैसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।

6–संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) (धारा 13)–

(1) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसकी कार्यावधि तीन वर्ष होगी, जिसे तीन वर्ष के लिए अगली कार्यावधि हेतु कुलपति द्वारा विशेष परिस्थितियों में विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) संबंधित स्कूल का प्रधान संकायाध्यक्ष होगा और कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा,

परन्तु, यह कि जब संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) का पद रिक्त हो या किसी कारण से वह दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो तो उसके पद का कार्यभार ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्वहन किया जायेगा, जिसे कुलपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाए।

(3) स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता)–

(क) स्कूल में शिक्षण तथा शोध क्रियाकलापों के संचालन तथा सामान्य आयोजन के लिए उत्तरदायी होगा;
(ख) शैक्षणिक कार्यक्रमों और संबंधित स्कूल की नीतियों को बनाएगा;
(ग) स्कूल में अपेक्षित शैक्षणिक और प्रशासनिक मानकों के रख–रखाव को सुनिश्चित करेगा;
(घ) परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में उपबन्धित प्राविधानों के अधीन अनुशासन और उपयुक्त अनुपालन सुनिश्चित करेगा;
(ङ) स्कूल संकाय परिषद् का अध्यक्ष होगा;
(च) स्कूल में शिक्षण प्रगति का अनुश्रवण और स्कूल द्वारा दिए गए पाठ्यक्रमों में छात्रों की उपलब्धि की प्रस्थापना करेगा;
(छ) स्कूल में शोध गतिविधियों की प्रगति और विभिन्न कालिक शोध कार्यक्रमों की प्रगति का अनुश्रवण करेगा;
(ज) स्कूल के शिक्षण क्रियाकलापों के नियत क्षेत्र में जानकारी के प्रसार की सुविधा उपलब्ध करायेगा;
(झ) स्कूल का बजट तैयार करेगा, शिक्षकों के अवकाश, व्यवहारिक बैठकें, सम्मेलन, सेमिनार में शिक्षकों को प्रतिभाग करने हेतु तद्नुसार अनुमति प्रदान करेगा;
(ञ) समय–समय पर स्कूल के शिक्षण और अन्य क्रियाकलापों के बारे में कुलपति को सूचना देगा;
(ट) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और जनसामान्य से सम्पर्क बनाने के लिए मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करेगा; और
(ठ) कुलपति द्वारा समय–समय पर निर्देशित अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

7–कुलसचिव : कर्तव्य (धारा 14)–

(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। कुलसचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी परिनियम 23 के खण्ड(8) में विहित है।

(2) कुलसचिव–

(क) सभा, कार्य परिषद् तथा शैक्षिक (विद्वत) परिषद् का पदेन सचिव होगा;
(ख) विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रवेश, और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का संचालन तथा छात्रों को परीक्षाफल रिपोर्ट जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा;
(ग) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा;
(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री तथा डिप्लोमा की पंजी का रख–रखाव करेगा;

(ङ) विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों की एक पंजी का रख–रखाव करेगा,

(च) शैक्षिक कलैण्डर तैयार करेगा और शैक्षिक विनियमों/अध्यादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएगा, और

(छ) विश्वविद्यालय की ओर से विधिक मामलों पर कार्रवाई करेगा।

(3) कुलसचिव की अनुपस्थिति में, कुलपति किसी व्यक्ति को कुलसचिव के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कर सकता है।

8–वित्त अधिकारी, उसकी शक्तियां एवं कृत्य (धारा 15)–

(1) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी परिनियम 23 के खण्ड (8) के उपखण्ड(ख) में विहित है।

(2) वित्त अधिकारी की अनुपस्थिति में, कुलपति किसी व्यक्ति को वित्त अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कर सकता है।

(3) वित्त अधिकारी–

(क) विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा,

(ख) कार्य परिषद् या कार्य परिषद् द्वारा गठित समितियों के अभिलेखों का रख–रखाव और बैठकों हेतु सूचना पत्र जारी करेगा;

(ग) कार्य परिषद् के पदीय पत्र–व्यवहार का संचालन करेगा, और

(घ) कुलपति द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(4) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का बजट तैयार करेगा और लेखा से संबद्ध समस्त विवरणों का रख–रखाव करेगा।

(5) वित्त अधिकारी कार्य परिषद् में बिना मताधिकार के विशिष्ट आमन्त्रित के रूप में प्रतिभाग करेगा।

9–विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी (धारा 9)–

(1) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी निम्नवत होंगे :–

(क) अधिष्ठाता छात्र कल्याण;

(ख) मानव संसाधन अधिकारी;

(ग) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष।

(क) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण :

(1) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। अधिष्ठाता छात्र कल्याण की नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी इन परिनियम 23 के खण्ड (8) में विहित है।

(2) अधिष्ठाता छात्र कल्याण–

(एक) छात्रों के लिए आवासीय एवं भोजन की सेवाओं की व्यवस्था करेगा,

(दो) विश्वविद्यालय मे साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रिया–कलापों का आयोजन करेगा,

(तीन) विश्वविद्यालय में खेल और अन्य आमोद–प्रमोद क्रिया–कलापों का आयोजन करेगा,

(चार) छात्रों के लिए परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन करेगा,

(पाँच) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए स्कूल/संकाय स्तर पर पदस्थापना में सहायता प्रदान करने हेतु आयोजन करेगा,

(छः) पूर्व छात्र संगम के क्रियाकलापों का आयोजन करेगा,

(सात) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा,

(आठ) विश्वविद्यालय की केन्द्रीय अनुशासन समिति का सदस्य सचिव होगा,

(नौ) विश्वविद्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करेगा,

(दस) छात्रों को छात्रवृत्ति, अध्ययेतावृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता के संवितरण का पर्यवेक्षण करेगा,

(ग्यारह) छात्रों के लिए यात्रा की व्यवस्था करेगा, और

(बारह) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।

(ख) मानव संसाधन अधिकारी :

(1) मानव संसाधन अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। मानव संसाधन अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिनियम 23 के खण्ड (8) में विहित है।

(2) मानव संसाधन अधिकारी–

(एक) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा अभिलेखों सहित वर्गीकृत पंजी का रख–रखाव करेगा,
(दो) विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी करेगा और सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया का आयोजन करेगा,
(तीन) विश्वविद्यालय मे विभिन्न पदों की छंटनी और चयन समिति की बैठकों का आयोजन करेगा,
(चार) चयन समिति की संस्तुतियों को कुलपति/कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा, और नियुक्ति पत्र जारी करेगा,
(पाँच) विश्वविद्यालय से संबंधित कर्मचारियों को नियंत्रित करेगा,
(छः) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा, और
(सात) कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य मामलों का व्यवहरण करेगा।

(ग) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष :

(1) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी परिनियम 23 के खण्ड(8) में विहित है।

(2) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष–

(एक) विश्वविद्यालय पुस्तकालय का रख–रखाव करेगा,
(दो) संकाय और छात्रों के लिए पुस्तकालय की सेवाओं का आयोजन करेगा,
(तीन) विश्वविद्यालय पुस्तकालय का बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, और
(चार) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि कुलपति द्वारा निर्देशित किया जाए।

10–विश्वविद्यालय के प्राधिकारी (धारा 17)–

सभा, कार्य परिषद् और शैक्षिक (विद्वत) परिषद्, स्कूल संकाय परिषद् के अतिरिक्त प्रत्येक अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालय के प्राधिकारी भी गठित करेगे।

11–सभा : कृत्य एवं शक्तियां (धारा 18)–

(1) सभा का सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्यता धारण करेगा :

परन्तु, यह कि पदेन सदस्य सभा की सदस्यता उसकी अधिवर्षता पर या उसके कार्यकाल की समाप्ति पर, जिसके लिए वह सभा का सदस्य बना है, सदस्य नहीं रह जाएगा,

(2) कुलाधिपति की अध्यक्षता में कार्य परिषद् द्वारा वर्ष में एक बार नियत तिथि को सभा की बैठक होगी। सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व बैठक में उपस्थित होने की सूचना प्रेषित की जाएगी और दस सदस्य गणपूर्ति करेंगे,

(3) सभा कार्य परिषद् की कार्यवाही, विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती वर्ष की उपलब्धि तथा विश्वविद्यालय की भविष्य की योजनाओं पर विचार करेगी,

(4) सभा, विश्वविद्यालय के सम्प्रेषित तुलन–पत्र और अपेक्षित आय–व्ययक पर विचार करेगी,

(5) सभा, सभा के सदस्यों में से किसी रिक्ति को भर सकेगी,

(6) यदि किसी मामले में राय भिन्न हो तो बहुमत की राय अभिभावी होगी।

(7) विश्वविद्यालय का कुलसचिव सभा का सचिव होगा।

12–कार्य परिषद् : कृत्य एवं शक्तियां (धारा 19)–

(1) कार्य परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा :

परन्तु, यह कि पदेन सदस्य की सदस्यता अधिवर्षता या पद से त्याग पत्र देने पर, जिससे वह परिषद् का सदस्य बना है, से समाप्त हो जाएगी।

(2) कार्य परिषद् के एक तिहाई सदस्य यथाशक्य प्रतिवर्ष सेवा निवृत्त होंगे।

(3) विश्वविद्यालय का कुलसचिव कार्य परिषद् का गैरसदस्यीय सचिव होगा।

(4) स्कूल के दो संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) कार्य परिषद् में नामित होंगे, जिनमें से एक विज्ञान और तकनीकी का दूसरा मानविकी और अन्य अध्ययन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेगा।

(5) विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम प्राध्यापक कार्य परिषद् का सदस्य होगा, परन्तु यह कि उसकी अवधि समाप्त होने पर दूसरा वरिष्ठतम प्राध्यापक परिषद् में नामित होगा। कोई प्राध्यापक दो लगातार अवधि के लिए कार्य परिषद् का सदस्य नहीं हो सकेगा।

(6) कार्य परिषद्–

(एक) संकाय स्तर के पदों के संबंध में यथा नियमित संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता), प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के लिए गठित चयन समिति की संस्तुति पर नियुक्तियों का अनुमोदन करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी होगी। परिषद् विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्तियां जिनका वेतनमान का अधिकतम रु0 13500/– है, के खुले चयन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित पदों पर नियुक्ति का अनुमोदन भी करेगी। संविदा संकाय के मामले में कुलपति द्वारा की गई नियुक्तियों के बारे मे कार्य परिषद् को सूचित किया जायेगा।

(दो) राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रशासनिक और लिपिकीय पदों का सृजन करेगी, और

(तीन) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का विनियमन और अनुश्रवण करेगी।

(7) कार्य परिषद् राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय की ओर से जंगम सम्पत्ति के अन्तरण के लिए अधिकृत कर सकती है।

(8) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार देश या विदेश में किसी सस्था के साथ की गई किसी सविदा या करार को निरस्त, उपान्तरित या निर्णीत कर सकती है।

(9) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की सामान्य मोहर का चयन/अनुमोदन करेगी।

(10) कार्य परिषद् की बैठक मे गणपूर्ति उपस्थित सदस्यों की एक–तिहाई होगी।

13–वित्त समिति (धारा 22)–

(1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी:–

(एक) कुलपति – अध्यक्ष

(दो) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव अथवा उसका नाम निर्देशिती – सदस्य

(तीन) वित्त विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव अथवा उसका नाम निर्देशिती – सदस्य

(चार) कुलपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट कार्य परिषद् के दो सदस्य – सदस्य

(पाँच) विश्वविद्यालय वित्त अधिकारी – सदस्य

(2) वित्त समिति, कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय और साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आबद्धकर होगी।

(3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायं।

(4) जब कि वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद् उस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्य परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) वित्त समिति की बैठक में गणपूर्ति समिति के तीन सदस्यों द्वारा होगी।

14–शैक्षिक (विद्वत) परिषद : कृत्य एवं शक्तियां (धारा 20)–

(1) शैक्षिक (विद्वत) परिषद निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी :–

(एक) कुलपति जो शैक्षिक (विद्वत) परिषद का अध्यक्ष होगा,
(दो) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) स्कूल,
(तीन) प्रभाग का सभापति,
(चार) अध्ययनकेन्द्रों के सभापति,
(पाँच) प्रत्येक स्कूल से वरिष्ठता के आधार पर चक्रीय क्रम में प्रति वर्ग से एक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक–प्राध्यापक मनोनीत सदस्य, और
(छः) विश्वविधालय में प्रत्येक स्कूल संकाय परिषद के सचिव,

(2) शैक्षिक (विद्वत परिषद) के पदेन सदस्य निम्नलिखित होंगे:–

(एक) वित्त अधिकारी,
(दो) अधिष्ठाता छात्र कल्याण,
(तीन) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष,
(घ) मानव संसाधन अधिकारी, और
(ङ) विहित अवधि के लिए कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का अन्य कोई अधिकारी।

(3) कुलसचिव शैक्षिक (विद्वत) परिषद का सचिव होगा।

(4) कुलपति की सस्तुति पर शैक्षिक (विद्वत) परिषद् में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय में नियुक्त न हों, विश्वविधालय की समृद्धि के लिए सहयोजित कर सकेंगे, तथापि विश्वविधालय में ऐसे विशेषज्ञों की संख्या विद्यमान स्कूलों की सख्या से अधिक नहीं होगी। ऐसे सदस्यों को शैक्षिक (विद्वत) परिषद में मत देने का अधिकार नहीं होगा और उनके पद की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कुलपति द्वारा विहित की जाएं।

(5) शैक्षिक (विद्वत) परिषद्, शैक्षिक सत्र में न्यूनतम चार बैठकें उसके कार्य–सव्यवहार के लिए आयोजित करेगी।

(6) कुलपति द्वारा कभी भी शैक्षिक (विद्वत्त) परिषद की विशेष बैठक का आयोजन किया जा सकेगा या परिषद के एक तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर 10 दिन पूर्व सूचना पर बैठक की जा सकेगी।

(7) शैक्षिक (विद्वत) परिषद्, विशिष्ट मामलों मे, अपेक्षित कार्यवाही किए जाने के लिए संस्तुतियां प्रदान किए जाने हेतु अल्पकालिक और सशक्त समितियों का गठन कर सकती है। ऐसी समितियों की संस्तुतिया अनुमोदन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुलपति को अग्रसारित की जाएगी। संस्तुतिया शैक्षिक (विद्वत) परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन के लिए भी रखी जाएंगी।

(8) शैक्षिक (विद्वत) परिषदः

(क) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की अपेक्षानुसार प्रवेश और पाठ्यक्रम,
(ख) प्रवेश परीक्षाओं और मंत्रणा का आयोजन,
(ग) शिक्षा नीति,
(घ) विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों और वाह्य संस्थाओं/संगठनों के मध्य कार्यक्रमों में सहयोग,
(ङ) शैक्षिक और शोध कार्यक्रमों के संबंध में स्कूलों या अध्ययन केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण,
(च) विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों को संस्थित किए जाने के लिए पाठ्यक्रम कार्यक्रम और पाठ्यविवरण तैयार करना,
(छ) छात्रवृत्तियों, अध्ययेता वृत्तियों, पुरस्कारों, पदकों आदि को सस्थित करना,
(ज) उपाधि और मानद उपाधि को प्रदान करना और दीक्षान्त समारोह का आयोजन,
(झ) विश्वविद्यालय के छात्रों से शुल्क लेना,
(ञ) प्रश्नपत्रों के निर्धारकों, अनुसीमकों और अन्य लोगों को संदाय किये जाने वाला मानदेय और परीक्षाओं का सामान्य संचालन/मंत्रणा तथा अन्य ऐसे विषयों के लिए ली गई सेवाओं का भुगतान,
(ट) विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षिक स्तरों में अपेक्षित नियुक्तियों और पदोन्नतियों की अर्हताएं, एवं

(ठ) स्कूलों की स्थापना/बन्द करना, संविलीन या पुनर्संविलीन केन्द्रों आदि में विभाजित करना, और छात्रों और संकायों से संबंधित किसी अन्य मामलों में और शैक्षिक हितों के अन्य मामलों में निर्णण ले सकती है।

(9) शैक्षिक (विद्वत) परिषद, विभिन्न उपाधियों और डिप्लोमा के लिए अभ्यर्थियों का अनुमोदन करेगी और दीक्षान्त समारोह में मानद उपाधियों के लिए अभ्यर्थियों की संस्तुति कार्य परिषद को करेगी।

(10) यदि शैक्षिक परिषद का यह समाधान हो जाए कि ऐसे निर्णय को प्रभावी करने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं, तो शैक्षिक (विद्वत) परिषद किसी व्यक्ति को संस्थित की गई कोई डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र, पुरस्कार, मानद या विशिष्टताएं प्रत्याहरित करने का निर्णय ले सकती है।

(11) शैक्षिक (विद्वत) परिषद, पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति, शैक्षिक नीति समिति और पुस्तकालय परामर्श समिति के लिए एक शैक्षिक वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न समितियां गठित करेगी। शैक्षिक (विद्वत) परिषद पाठ्यक्रम एवं पाठ्येत्तर समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति और शिक्षा नीति समिति का अध्यक्ष भी बुनेगी।

(क) पाठ्यक्रम एवं पाठ्येत्तर समिति :

(12) इस समिति की राय/आगम के लिए परिषद् द्वारा संदर्भित मामलों में पाठ्यक्रम एवं पाठ्येत्तर समिति अपनी संस्तुतियां शैक्षिक (विद्वत) परिषद को उपलब्ध करायेगी।

(ख) केन्द्रीय अनुशासन समिति :

(13) इस समिति का सदस्य विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्कूल से प्राध्यापक के पद की श्रेणी से प्रथमतः निर्वाचन हेतु शैक्षिक (विद्वत) परिषद से लिया जायेगा। अधिष्ठाता छात्र कल्याण समिति का सचिव होगा।

(ग) शैक्षिक नीति समिति :

(14) इस समिति की सदस्यता विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्कूल से वरिष्ठ संकाय सदस्य निर्वाचन हेतु शैक्षिक (विद्वत) परिषद से लिया जाएगा। समिति शैक्षिक (विद्वत) परिषद द्वारा उसे संदर्भित मामलों में अपनी संस्तुति उपलब्ध कराएगी।

(घ) पुस्तकालय परामर्शी समिति :

(15) यह समिति स्कूलों के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता), वित्त अधिकारी, कुलसचिव, मानव संसाधन अधिकारी और शैक्षिक (विद्वत) परिषद द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया एक सदस्य मिलकर गठित होगी। कुलपति अध्यक्ष और विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष समिति का सचिव होगा।

15–स्कूल संकाय परिषद् : कृत्य एवं शक्तियां (धारा 17 एवं 21)–

(1) प्रत्येक स्कूल, स्कूल की योजनाओं, संगठन और विकास से संबंधित मामलों में निर्णय लेने हेतु एक स्कूल सकाय समिति का गठन करेगा। सकाय समिति समय–समय पर स्कूल के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियाकलापों के पुनर्विलोकन और पाठ्यक्रम मामलों सहित शैक्षणिक कार्यक्रमों को जोड़ने, हटाने अथवा उपान्तरित करने के लिए निर्णय ले सकेगी।

(2) स्कूल की स्कूल संकाय समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात:–

(एक) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) स्कूल,
(दो) स्कूल के अध्ययन केन्द्र/केन्द्र प्रभागों के अध्यक्ष,
(तीन) समस्त नियमित संकाय सदस्य,
(चार) समस्त दीर्घकालिक परिदर्शक संकाय सदस्य,
(पाँच) प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय के अन्य स्कूलों से शैक्षिक (विद्वत) परिषद द्वारा निर्वाचित तीन सदस्य,

(3) स्कूल संकाय परिषद एक या दो छात्रों को जब कभी आवश्यकता हो की राय से तथ्यों को प्रकाश में लाने के लिए आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(4) स्कूल संकाय परिषद की एक शिक्षा सत्र में न्यूनतम चार बैठकें होंगी।

(5) संबंधित स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) स्कूल संकाय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। संकाय के एक सदस्य को परिषद का एक वर्ष के लिए सचिव के रूप में चुना जाएगा।

(6) स्कूल संकाय परिषद सभी शैक्षिक मामलों, जिनमें स्कूल के संगठनात्मक स्वरूप, विभिन्न छात्रों के कार्यक्रम, प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की अर्हता, अपेक्षित संकाय के अध्ययन केन्द्र/प्रभागों और उनकी अर्हता, अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय/संगठन, शोध स्कूलों की पहचान और शोध का पुनर्विलोकन और निर्माण संक्रियाओं का विस्तार और मामलों में विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण के द्वारा इसकी राय के लिए स्कूल संकाय परिषद को संदर्भित करेगी।

(7) स्कूल संकाय परिषद रिपोर्ट तैयार करने, विशिष्ट मामलों में संस्तुतियां देने अथवा अन्य किन्ही विषयों के लिए इसकी समितियां नियुक्त कर सकेगी।

16–स्कूल–

(1) विश्वविद्यालयः

(क) पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन स्कूल,
(ख) जनसंचार स्कूल,
(ग) सामाजिक विज्ञान स्कूल,
(घ) प्रबंधन स्कूल,
(ङ) भौतिक विज्ञान स्कूल,
(च) जीव विज्ञान स्कूल,
(छ) तकनीकी स्कूल,
(ज) डिजाइन स्कूल,
(झ) भाषा स्कूल, एवं
(ञ) अन्य कोई स्कूल, जिसे वह स्थापित करने का विनिश्चय करे, नियत तिथि से स्थापित कर सकता है।

(2) कार्य परिषद्, शैक्षिक (विद्वत) परिषद् की संस्तुति से विश्वविद्यालय के किसी स्कूल को स्थापित, बन्द, विलीन, पुनर्विलीन, या पुनर्गठित जैसा आवश्यक समझे, कर सकेगी।

(3) स्कूल का संगठनात्मक स्वरूप ऐसा होगा जैसा शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा संस्तुत और कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(4) प्रत्येक स्कूल, शैक्षिक (विद्वत) परिषद् को सूचित करके उसके प्रभावी कार्यों के लिए समय–सारणी समिति और अन्य समिति की स्थापना कर सकेगा। समय–सारणी समिति स्कूल द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए वर्षवार मुख्य समय–सारणी तैयार करेगी।

(क) संकाय विकास समिति : कृत्य

(5) प्रत्येक स्कूल संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) और प्राध्यापक की श्रेणी को वरीयता देकर दो नियमित संकाय सदस्यों से एक संकाय विकास समिति गठित करेगा। समिति के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे–

(क) नियमित/दीर्घकालिक अभ्यागत संकाय के अभ्यर्थियों के चयन के लिए छंटनी,
(ख) उच्च स्तर पर अगली नियमित प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी,
(ग) मान्यता प्राप्त/अल्पकालिक अभ्यागत और सहायक संकाय का चयन,
(घ) नियमित/दीर्घकालिक अभ्यागत संकाय के कार्य और स्कूल की वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा, और
(ङ) संवीक्षित शोध प्रस्ताव/परियोजना बाह्य वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत करना।

(ख) संकाय चयन समिति : कृत्य

(6) संकाय चयन समिति सम्बन्धित स्कूल की संकाय विकास समिति के सदस्यों से गठित होगी, इसके अतिरिक्त बाह्य विषयों के विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा जैसा इस परिनियमावली के परिनियम 23 के भाग (क) में विहित है, निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी–

(क) नियमित/दीर्घकालिक अभ्यागत संकाय का चयन,
(ख) नियमित संकाय का उन्नयन,
(ग) परीवीक्षा अवधि के पूर्ण होने पर स्थायीकरण/उत्तरवर्ती पदोन्नति हेतु कार्य का पुनर्विलोकन, और
(घ) नियमित संकाय का पंचवर्षीय कार्य पुनर्विलोकन।

17—अध्ययन केन्द्रों का संगठनात्मक स्वरूप [धारा 22 (च)]—

प्रत्येक स्कूल कार्य परिषद द्वारा क्रियात्मक तथा ढांचागत रूप से प्रभागों/या अध्ययन केन्द्रों में संगठित किया जा सकता है, जो शैक्षिक क्रियाकलापों और प्रशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में कार्य करेंगे।

18—अध्ययन केन्द्र [धारा 22 (च)]—

(1) शैक्षिक (विद्वत) परिषद शिक्षा और शोध की प्रगति के लिए स्कूलों में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना कर सकती है।

(2) विश्वविद्यालय, अध्ययन केन्द्रों में विशिष्ट क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र इकाई के रूप में जब-कभी आवश्यकता हो, स्थापित कर सकेगा।

(3) प्रारम्भ में विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र निम्नलिखित होंगे:—

(क) लोकनीति के लिए केन्द्र (सामाजिक विज्ञान स्कूल),
(ख) हिमालयी अध्ययन के लिए केन्द्र (पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन स्कूल),
(ग) जैव प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्र (जीव विज्ञान स्कूल),
(घ) सूचना तकनीकी के लिए केन्द्र (तकनीकी स्कूल)।

19—प्रभाग का अध्यक्ष [धारा 22 (च)]—

(1) प्रभाग का अध्यक्ष सामान्यतः प्राध्यापक स्तर का होगा और शिक्षण संस्था, शोध, और प्रभाग में अन्य शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रति उत्तरदायी होगा :

परन्तु, यह कि जहां प्रभाग में कोई प्राध्यापक उपलब्ध न हो, नियमित अध्यक्ष के चयन होने तक प्रभाग के दायित्वों को वरिष्ठ संकाय सदस्य को सौंपा जा सकता है।

(2) प्रभाग का अध्यक्ष कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए इस निमित्त गठित चयन समिति की संस्तुति पर नियुक्त किया जाएगा। तीन वर्ष के दूसरे कार्यकाल का विस्तार कुलपति द्वारा किया जा सकता है।

(3) प्रभाग का अध्यक्ष स्कूल के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) के प्रति उत्तरदायी होगा और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) द्वारा सौंपे जाएं।

20—अध्ययन केन्द्र का अध्यक्ष [धारा 22 (च)]—

(1) स्कूल में प्रत्येक अध्ययन केन्द्र का एक अध्यक्ष होगा जो शिक्षण और शोध कार्यक्रमों के प्रतिपादन तथा समन्वय सहित समस्त शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होगा। जब तक वर्तमान में प्राध्यापक केन्द्र में न हो, केन्द्र का वरिष्ठ संकाय सदस्य, तब तक अध्यक्ष के उत्तरदायित्व चयनित अध्यक्ष की तरह कर सकेगा।

(2) अध्यक्ष सामान्यतया तीन वर्ष की अवधि के लिए इस निमित्त गठित चयन समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में तीन वर्ष के दूसरे कार्यकाल का विस्तार कुलपति द्वारा किया जा सकता है।

(3) प्रभाग का अध्यक्ष स्कूल के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) के प्रति उत्तरदायी होगा और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) द्वारा सौंपे जाएं।

21—शिक्षकों का वर्गीकरण (धारा 20)—

(1) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति वर्गीकृत रूप में नियमित, संविदा के पद या 'मान्यता प्राप्त' से हो सकेगी, कार्य परिषद जहां आवश्यकतानुसार वर्गीकरण में कुछ भी हो, उपान्तरित कर सकेगी,

(2) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक-प्राध्यापक और जिसे उपयुक्त समझे शिक्षकों की नियुक्तियां कर सकेगी। नियुक्त शिक्षक विश्वविद्यालय के वेतनभोगी कर्मचारी होंगे।

(3) अवैतनिक/अभ्यागत प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अभ्यागत विद्वान या प्रतिष्ठित प्राध्यापक शिक्षक भी नियुक्त होंगे।

(4) कुलपति संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) की संस्तुति पर प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, या संविदा पर कोई अन्य पदनाम से शिक्षक नियुक्त कर सकता है। स्कूल में प्रथम नियुक्ति की दशा में, कुलपति संविदा

पर शिक्षक/शिक्षकों, परामर्शी/परामर्शियों की नियुक्ति के लिए खोज और चयन समिति का गठन कर सकता है। देश से बाहर के उच्च विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में संविदा पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जा सकता है। ऐसी नियुक्तियों के संबंध में कार्य परिषद को सूचित किया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त शिक्षक विश्वविद्यालय के बाहर मान्यता प्राप्त संस्था के स्टाफ सदस्य होंगे। ऐसे शिक्षक विश्वविद्यालय की शैक्षिक (विद्वत) परिषद द्वारा अनुमोदित शैक्षिक पाठ्यक्रमों और शोध के कार्य में मार्गदर्शन हेतु नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसे शिक्षकों की मान्यता तब तक बनी रहेगी जब तक वे संबंधित मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मचारी हैं।

(6) कार्यपरिषद कुलपति या शैक्षिक (विद्वत) परिषद के सन्दर्भित किए जाने पर शिक्षक से मान्यता वापस ले सकती है।

(7) शिक्षकों की नियुक्ति के नियम इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की संस्तुति पर होगी जैसा कि परिनियमावली के परिनियम 23 के खण्ड (5) में प्राविधानित है।

22–कर्मचारियों की श्रेणियां (धारा 22)–

(1) विश्वविद्यालय में कर्मचारियों/कार्मिकों की निम्नलिखित श्रेणियां हो सकती हैं:–

(क) शैक्षिक कर्मचारी: संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता), केन्द्र/प्रभाग के अध्यक्ष, प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक,सहायक–प्राध्यापक, अभ्यागत प्राध्यापक, अभ्यागत विद्वान, अवैतनिक प्राध्यापक, प्रतिष्ठित प्राध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य कोई व्यक्ति, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक कर्मचारी के रूप में पदाभिहित किया जाए।

(ख) तकनीकी कर्मचारी: अभियन्ता, पुस्तकालय तकनीशियन, पुस्तकालय सहायक, चालक, दूरभाष संचालक, कम्प्यूटर संचालक, खेल अनुदेशक/ प्रशिक्षिक, फार्मासिस्ट, नर्स और कोई अन्य व्यक्ति, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी कर्मचारी के रूप में पदाभिहित किया जाए।

(ग) प्रशासनिक और सहयोगी कर्मचारी: कुलसचिव, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी, भण्डार और क्रय अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, खेल अधिकारी, कुलपति का निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, कार्यालय सहायक, भण्डार प्रभारी, परिचर, सुरक्षा रक्षक और कोई अन्य व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक कर्मचारी के रूप में पदाभिहित किया जाए।

23–नियुक्तियां (धारा 16 एवं धारा 22)–

(1) विश्वविद्यालय में समस्त नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाएंगी जैसा कि विद्वत परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा मार्गनिर्देश अवधारित किए गए हों, संकाय के वरिष्ठ पदों की स्थिति में नियुक्तियां विशेष रूप से शिक्षण, शोध, संगठनात्मक/नेतृत्व के गुण योग्यता और व्यावसायिक/सामाजिक विकास के लिए योगदान के आधार पर होगी।

(2) अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।

(3) संकाय में शिक्षकों की समस्त नियुक्तियां इन परिनियमों के प्रावधानों के अधीन न्यूनतम देश के तीन व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में रिक्तियां विज्ञापित कर की जाएंगी। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियानुसार की जायेगी।

(4) नियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को संस्तुति की जाएगी। 'समस्त नियुक्तियों' और मान्यता प्राप्त शिक्षकों के संदर्भ में कार्य समिति को चयन समिति की संस्तुतियां अग्रसारित करने के लिए प्ररूप विहित किया जाएगा, परन्तु यह कि विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त शिक्षक के रूप में उच्च शैक्षिक स्तर के व्यक्ति को जिसका शिक्षण और शोध में सहयोग हो, वैयक्तिक साक्षात्कार में आमंत्रित किए बिना नियुक्त कर सकता है। मान्यता प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शर्तें और निबन्धन विहित किए जाएंगे।

(क) शिक्षकों के चयन के लिए समिति :

(5) कुलपति निम्नलिखित शैक्षिक कर्मचारियों का चयन करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष होगा, परन्तु यदि वह किसी कारण चयन समिति की बैठक में उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है, तो यह कि वह सम्बद्ध स्कूल के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) को यह प्राधिकार प्रतिनिधायन कर सकता है। संकाय चयन समिति, संबंधित स्कूल में शिक्षकों के चयन हेतु अपनी संस्तुति देगी:

(क) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता)–

(एक) विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा नामित स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता),
(दो) कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित शाखा/विषय के दो विशेषज्ञ :

परन्तु किसी भी कारणवश संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) की नियमित नियुक्ति न हो पाने तक कुलपति शाखा/विषय से सम्बन्धित् वरिष्ठतम अध्यक्ष को अधिकतम एक वर्ष के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(ख) अध्ययन केन्द्र/प्रभाग के अध्यक्ष–

(एक) संबद्ध स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता),
(दो) कुलपति द्वारा नामित सम्बद्ध स्कूल के दो वरिष्ठतम आचार्य :

परन्तु यदि वरिष्ठ आचार्य उपलब्ध न हो तो शाखा/विषय के दो बाह्य विशेषज्ञ :

परन्तु यह भी कि किसी भी कारणवश अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति न हो पाने तक कुलपति सम्बद्ध अध्ययन केन्द्र/प्रभाग के वरिष्ठ आचार्य को अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रभारी नियुक्त कर सकेगा।

(ग) प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक और सहायक–प्राध्यापक–

(एक) संबद्ध स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता),
(दो) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट जो अन्य स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) होगा,
(तीन) संकाय विकास समिति का एक सदस्य,
(चार) कुलपति से परामर्श के पश्चात स्कूल में शाखा/विषय के लिए अध्ययन केन्द्र/प्रभाग में कुलाधिपति द्वारा नामित पाँच विशेषज्ञों के पेनल में से दो बाह्य विशेषज्ञ,
(पांच) अध्ययन केन्द्र/प्रभाग से सम्बद्ध अध्यक्ष–
(एक) सम्बद्ध स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता),
(दो) कुलपति द्वारा नामित सम्बद्ध स्कूल के दो वरिष्ठतम् आचार्य :

परन्तु यदि वरिष्ठ आचार्य उपलब्ध न हो तो शाखा/विषय के दो बाह्य विशेषज्ञ :

परन्तु यह भी किसी भी कारणवश अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति न हो पाने तक कुलपति सम्बद्ध अध्ययन केन्द्र/प्रभाग के वरिष्ठ आचार्य को अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रभारी नियुक्त कर सकेगा।

(6) संकाय के पदाभिहित व्यक्तियों की नियुक्तियां धारा 23 की उपधारा (5) में गठित चयन समिति के विचाराधीन पदों के लिए नये या विभिन्न पदों सहित की जाएंगी।

(7) उपर्युक्त परिनियम (5) में उल्लिखित चयन समिति/समितियां भारत से बाहर के अभ्यर्थी के मामले में उसके जीवनवृत्त तथा उसकी शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर उसकी अनुपस्थिति में विचार कर सकती है।

(ख) अधिकारियों की नियुक्ति :

(8) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्तियां निम्नवत् होंगी :–

(क) कुलसचिव–

कुलसचिव की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त कम से कम तीन नामों के पैनल में से प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर अधिकतम पांच वर्ष के लिए की जायेगी।

कार्य परिषद कुलसचिव के चयन हेतु उक्त पैनल में से कुलपति की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन कर नियुक्ति कर सकेगी :

परन्तु यह कि किसी कारणवश कुलसचिव की नियुक्ति न हो पाने की दशा में कार्य परिषद द्वारा अधिकतम एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों में से प्रभारी कुलसचिव नियुक्त किया जा सकता है।

(ख) वित्त अधिकारी–

विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विहित प्राविधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(ग) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष–

विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए चयन समिति का गठन कुलपति, जो समिति का अध्यक्ष होगा, पुस्तकालय विज्ञान/प्रबंधन क्षेत्र का एक बाह्य विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के दो स्कूलों के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) और यदि कुलसचिव संकाय का सदस्य है, से किया जाएगा।

(घ) अधिष्ठाता छात्र कल्याण–

अधिष्ठाता छात्र कल्याण की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षिक और शोध गतिविधियों और नियमित सेवा तथा मौलिक पद पर धारणाधिकार रखने वाले प्राध्यापकों में से की जाएगी।

(ड) अन्य अधिकारी–जिसमें निम्न सम्मिलित हैं कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के संकाय में से नियुक्त किए जा सकेंगे:–

(एक) मानव संसाधन अधिकारी–मानव संसाधन अधिकारी की नियुक्ति कुलपति तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी।

कुलपति इस हेतु एक वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, कुलसचिव तथा राज्य सरकार द्वारा नामित एक सदस्य की समिति गठित कर नियुक्ति करेंगे :

परन्तु यह कि किसी कारणवश मानव संसाधन अधिकारी की नियमित नियुक्ति न होने की दशा में कुलपति अधिकतम एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से नियुक्त कर सकता है।

(दो) प्रशासनिक निदेशक–प्रशासनिक निदेशक की नियुक्ति कुलपति द्वारा अधिकतम पांच वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी।

कुलपति इस हेतु वरिष्ठ संकायाध्यक्ष कुलसचिव तथा राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य की समिति गठित कर नियुक्त कर सकता है :

परन्तु यह कि किसी कारणवश प्रशासनिक निदेशक की नियमित नियुक्ति न होने की दशा में अधिकतम एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से नियुक्त कर सकते है।

(तीन) भण्डार और क्रय अधिकारी–भण्डार और क्रय अधिकारी की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षिक एवं शोध गतिविधियों और नियमित सेवा तथा मौलिक पद पर धारणाधिकार रखने वाले शैक्षिक कर्मचारियों में से की जाएगी। भण्डार और क्रय अधिकारी विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं में अपेक्षित सामग्री के क्रय और भंडार (स्टॉक) के अभिलेखों का रख–रखाव तथा विश्वविद्यालय के भण्डार के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय में संकायों और प्रशासनिक शाखाओं में उनके द्वारा अपेक्षित खरीदारी में सहयोग करेगा।

(चार) विश्वविद्यालय का चिकित्सा अधिकारी–विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति दो चिकित्सीय विशेषज्ञ, वित्त अधिकारी, कुलसचिव, और कुलपति की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चयन समिति द्वारा की जाएगी। चिकित्साधिकारी विश्वविद्यालय के संकायों और अन्य कर्मचारियों तथा छात्रों को चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा। वह इसके अतिरिक्त कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(पांच) निर्माण कार्य और संयत्र निदेशक–निर्माण कार्य और संयत्र निदेशक की नियुक्ति कुलपति द्वारा अभियंता की डिग्री धारकों में से पांच वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जायेगी :

परन्तु अपरिहार्य कारणवश अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर एक बार किया जा सकता है, वह स्वच्छता, जल प्रदाय, विद्युत और भवन रख–रखाव तथा कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य निर्माण कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

(छः) कोई अन्य अधिकारी–जो विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति हेतु अभिनिश्चित किया जाए।

(च) यदि किसी संकाय सदस्य को अपने दायित्वों से अतिरिक्त कार्य सौंपे जाएं तो उसे ऐसा कार्यभार ग्रहण करने के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध अन्य व्यक्ति जो उन दायित्वों का निर्वहन करता हो, की सुविधाओं के अतिरिक्त ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा जो उचित समझा जाए।

(ग) अभ्यागत संकाय–

(9) कुलपति कार्य परिषद् को सूचित करके अभ्यागत संकाय या अभ्यागत प्राध्यापक / सह–प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक के रूप में विश्वविद्यालय में उच्च शैक्षणिक कार्य और शोध की प्रगति में सहायता देने के लिए देश या विदेश से अध्ययन के क्षेत्र में उच्च शैक्षणिक एवं विशेष योग्यता से युक्त व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है। दीर्घावधि के लिए अभ्यागत संकाय एक से दो वर्ष के लिए नियुक्ति की जा सकती है। अल्पकालिक अभ्यागत संकाय एक वर्ष की अवधि तक के लिए नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्त व्यक्ति नियमित कक्षा / कक्षाएं पढ़ाएगा, विशेष व्याख्यानों का आयोजन और कार्यशाला तथा सेमिनार का संचालन करेगा। उसके वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता और अन्य शर्तें और निबंधन ऐसे होंगे जैसे नियुक्त व्यक्ति तथा विश्वविद्यालय के मध्य आपसी सहमति से अभिनिश्चित हों।

(घ) चेयर प्राध्यापक–

(10) विश्वविद्यालय अपने अध्ययन केन्द्र में प्रख्यात लोक नीति संगठनों या व्यक्तियों द्वारा प्रायोजित विन्यास पीठ (चेयर) स्थापित कर सकती है और समुचित रूप से अर्ह व्यक्तियों को दून चेयरों पर नियुक्त कर सकती है। ऐसी नियुक्ति का शासनादेश में शर्तें और निबंधन और वित्तीय तथा अन्य पहलू विहित किए जाएगे।

(ङ) अभ्यागत विद्वान–

(11) कोई व्यक्ति जिसका विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र में ज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान हो उसकी सूचना कार्य परिषद् को देकर कुलपति अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अभ्यागत विद्वान के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अभ्यागत विद्वान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, व्याख्यान देने, कार्यशाला और सेमीनारों का आयोजन और शिक्षण तथा शोध कार्यक्रमों का विकास करेगा। विद्वान को पारिश्रमिक संदाय दिया जाएगा और विश्वविद्यालय तथा विद्वान के मध्य सहमति के आधार पर आतिथ्य उपलब्ध कराया जाएगा।

(च) मानद प्राध्यापक–

(12) कार्य परिषद् और संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) की संस्तुति पर कुलपति कार्य परिषद को सूचित करके प्रतिष्ठित विद्वान को जिसका अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हो, स्कूल में अध्यापन के लिए मानद प्राध्यापक के रूप में नियुक्त कर सकता है। मानद प्राध्यापक की नियुक्ति की अवधि विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जाएगी। मानद प्राध्यापक को संबंधित स्कूल द्वारा उसके कार्य के निर्वहन के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मानद प्राध्यापक को कार्य के लिए निर्वहन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, लेकिन कोई वेतन नहीं दिया जाएगा।

(छ) प्रतिष्ठित प्राध्यापक–

(13) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक को प्रतिष्ठित प्राध्यापक की उपाधि प्रदान कर सकती है जिसने विश्वविद्यालय में अपनी कार्यावधि के दौरान अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। सम्बन्धित स्कूल संकाय परिषद्, शैक्षिक (विद्वत) परिषद् और कुलपति इसके लिए कार्य परिषद् को संस्तुति कर सकती है। प्रतिष्ठित प्राध्यापक को उसके शैक्षिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित स्कूल द्वारा समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उपाधि विश्वविद्यालय की ओर से बिना वित्तीय या अन्य वचनबद्धता के आजन्म होगी।

(ज) एडजंक्ट नियुक्तियां–

(14) कुलपति कार्य परिषद् को सूचित करके उद्योग तथा अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की एडजंक्ट प्राध्यापक या एडजंक्ट / सहायक प्राध्यापक या अन्य पद पर पदाभिहित कर जैसा वह उचित समझे, दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त व्यक्ति एवं विश्वविद्यालय के मध्य समझौते से शर्तों एवं निबंधनों पर प्रतिष्ठित व्यवसायियों को नियुक्त कर सकता है।

(झ) संविदा नियुक्तियां–

(15) कुलपति विशेष परिस्थितियों के अधीन अध्ययन केन्द्र को अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर व्यक्ति को भाड़े पर लेने की अनुज्ञा दे सकता है। ऐसे भाड़े पर लिए गए व्यक्ति को शिक्षण एवं शोध के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जो समुचित समझा जाए, पर पदाभिहित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय ऐसी नियुक्तियों के बारे में कार्य परिषद् को अवगत करायेगा।

(ञ) अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां–

(16) अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति जो अधिनियम और इन परिनियमों से आच्छादित नहीं है, कुलपति द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदन से की जाएगी सिवाय शिक्षणेत्तर पदों के जिनका वेतनमान का अधिकतम रु0 13500– है, (समय–समय पर यथा संशोधित) कुलपति द्वारा कार्य परिषद् को संदर्भित किए बिना की जा सकेगी।

24–सेवा की शर्तें और निबन्धन (धारा 22)–

(1) विश्वविद्यालय में समस्त नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएंगी। तद्नुपरान्त नियुक्त व्यक्ति की कार्य सम्पादन रिपोर्ट और आचरण संकाय सदस्य के रूप में संकाय चयन समिति और अन्य कर्मचारियों के मामले में कुलपति के पुनर्विलोकन में संतोषप्रद पाए जाने पर स्थायी किया जा सकता है। समिति/कुलपति उसके कार्य के आधार पर यदि कार्य सम्पादन असंतोषजनक पाया जाता है और परिवीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विर्निदिष्ट अवधि किन्तु चार वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ायी गयी हो तो उसे उसके पद पर यदि कोई की प्रगति के संबंध में पूर्व स्थिति के लिए संस्तुति यदि कोई हो दे सकती है, यदि कार्य सम्पादन असंतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम चार वर्ष तक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ायी जा सकेगी। स्थायीकरण समुचित प्राधिकारी के आदेश से किया जाएगा।

(2) नियुक्त व्यक्ति अधिनियम और परिनियमों के प्राविधानों के अध्यधीन उसकी अधिवर्षता तिथि के माह की अन्तिम तिथि तक लगातार सेवा में रहेगा :

परन्तु यह कि शिक्षक की पुनर्नियुक्ति, प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक के रूप में शिक्षण और शोध के हित में शैक्षणिक सत्र के अन्त तक नियमित रूप से की जा सकती है।

(3) समस्त नियुक्त व्यक्ति अल्पकालिक कर्मचारियों को छोड़कर विश्वविद्यालय से विहित प्ररूप में लिखित रूप में संविदा निष्पादित करेंगे और विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारी/राक्षम प्राधिकारी से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(4) ऐसे कर्मचारी जिनका परिवीक्षा काल समाप्त हो गया है और जिन्हें परिवीक्षा अवधि बढ़ाए जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो उनको परीवीक्षा अवधि समाप्त ने जाने की तारीख के एक वर्ष बाद स्थायी समझा जाएगा।

(5) विश्वविद्यालय का कर्मचारी कोई अन्य सेवा, व्यापार या गतिविधियां सिवाय परामर्श या ऐसी गतिविधियों में जिसके लिए सम्यक् रूप से समुचित प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो, नहीं कर सकेगा।

(6) विश्वविद्यालय के संकाय के सदस्यों या अधिकारियों सहित अस्थायी कर्मचारी की सेवा या परिवीक्षाधीन व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय बिना किसी कारण बताते हुए एक माह का नोटिस देकर या एक माह का वेतन देते हुए सेवा समाप्त की जा सकती है।

(7) विश्वविद्यालय के कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए आचरण नियमों तथा उपान्तरित नियमों से नियंत्रित होंगे।

(8) विश्वविद्यालय के कर्मचारी यथा विनिर्दिष्ट दैनिक, यात्रा और अन्य भत्ते पाने के हकदार होंगे।

(9) विश्वविद्यालय के कर्मचारी परिनियम 36 में विहित अवकाश के हकदार होंगे।

(10) विश्वविद्यालय के संकाय का कोई सदस्य या अधिकारी एक माह के नोटिस से या एक माह का वेतन संदाय करके समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय को छोड सकता है।

(11) कर्मचारियों पर लागू होने वाले चिकित्सा परिचर्या से संबंधित नियम अलग से बनाए जाएंगे।

25–कर्मचारी का हटाया जाना–

(1) विश्वविद्यालय के हित में किसी कर्मचारी के मामले में जहां उसने आचरण नियमों का उल्लंघन किया हो, या विश्वविद्यालय का कर्मचारी अनुपयुक्त हो तो, कुलपति ऐसे कर्मचारी की जांच का निर्धारण, स्पष्टीकरण लेने, अनुशासनिक कार्यवाही करने और उसे चेतावनी देने की कार्यवाही कर सकता है।

(2) कुलपति सेवा की शर्तों और निबन्धनों का विचार किए बिना किसी कार्मिक को दुराचरण, आदेशों के उल्लघंन और निधि के दुर्विनियोजन के आरोप में यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना विश्वविद्यालय के हित में हो तो निलम्बित करने हेतु ऐसे कार्मिक के विरुद्ध लगाए गए आरोप की जाँच के लिए आदेश पारित कर

सकता है तथा यदि किसी मामलों में जहाँ वह नियुक्ति अधिकारी है, निर्णय ले सकता है। अन्य मामलों में वह आवश्यक कार्रवाई हेतु बिना किसी संस्तुति के जांच रिपोर्ट कार्यसमिति के समक्ष रखेगा।

(3) कार्मिक को हटाना या पदच्युति आदेश जारी करने की तिथि से प्रभावी होगी। निलम्बित कार्मिक के मामले में पद से हटाने की संस्तुति या पदच्युति निलम्बन की तिथि से प्रभावी होगी।

26–अधिभार [धारा 22 (च)]–

(1) यदि विश्वविद्यालय की या निधियों या सम्पत्ति की क्षति या हानि, दुरुपयोग की कोई शिकायत सरकार द्वारा प्राप्त होती है, या राज्य सरकार स्वयं इस पर विचार करना उचित समझती है तो वह निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की विशेष लेखा परीक्षा करा सकता है।

(2) राज्य सरकार लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय के उस कार्मिक को जिसकी उपेक्षा के कारण या दुराचरण, क्षति, हानि या दुर्वियोजन हुआ नियत समय के अन्दर जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाए, उसके कार्य का स्पष्टीकरण मांगते हुए नोटिस जारी किया जा सकता है।

(3) राज्य सरकार सम्परीक्षा लेखा और सम्बन्धित कार्मिक के उत्तर के विचारोपरान्त इस संबंध में समुचित कार्रवाई कर सकती है। यदि राज्य सरकार यह निश्चित करती है कि कार्मिक द्वारा अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया गया है तो जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चत किया जाए उसे भू–राजस्व या किसी अन्य रीति से अवशेष के रूप में वसूल किया जायेगा।

27–विश्वविद्यालय परामर्शी समिति [धारा 22 (च)]–

(1) कार्य परिषद्, शैक्षिक (विद्वत) परिषद् की संस्तुति पर कार्य परिषद् और शैक्षिक (विद्वत) परिषद् को शैक्षिक हितों के मामलों में परामर्श के लिए कुलपति की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय परामर्श समिति का गठन कर सकती है :

परन्तु यह कि ऐसा परामर्श बाध्यकारी नहीं होगा।

(2) परामर्श समिति के सदस्य शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जीवन विज्ञान, चिकित्सा, प्रबंधन, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, जनसंचार, उद्योग तथा विश्वविद्यालय के अध्ययन के ऐसे अन्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

(3) परामर्श समिति में सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

(4) समिति का कार्यकाल विश्वविद्यालय द्वारा उसके गठन के समय अवधारित किया जाएगा।

(5) विश्वविद्यालय का कुलसचिव समिति का गैरसदस्यीय सचिव होगा।

28–विश्वविद्यालय के परिसर/परिसरों में अनुशासन का अनुरक्षण–

कुलपति के अधीन सभी शक्तियां होंगी जिनके द्वारा गतिविधियों के सुचारू संचालन और विश्वविद्यालय के परिसर/परिसरों में अनुशासन स्थापित करेंगे। इस संबंध में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

29–महाविद्यालय/संस्थाओं की संबद्धता (धारा 5)–

(1) विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्ध कर सकती है :

परन्तु यह कि–

किसी महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि दून विश्वविद्यालय परिनियम 16 में प्रस्तावित अध्ययन स्कूलों को स्थापित नहीं कर लेता है और अंतिम प्रस्तावित स्कूल की स्थापना के संचालन को न्यूनतम दो वर्ष पूर्ण नहीं हो गए हैं।

(2) सम्बद्धता के लिए आवेदन करने वाला महाविद्यालय/संस्था सम्बद्धता के लिए आवेदन करते समय जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं, उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र दून विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(3) छात्रों के लिए प्रवेश की अर्हता और प्रवेश का प्रकार, संकाय की भर्ती की प्रक्रिया, संकाय–छात्र अनुपात, परीक्षा और मूल्यांकन का तरीका, विभिन्न पाठ्यक्रमों का पाठ्य–विवरण और पाठ्यक्रम, शुल्क ढांचा और शिक्षकों का वेतन ढांचा आवेदन करने वाली संस्था/विद्यालय दून विश्वविद्यालय के समान होगा।

(4) सम्बद्धता प्राप्त करने वाले महाविद्यालय/संस्था का संरचनात्मक स्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या कोई अन्य राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जैसी भी स्थिति हो, अधिलिखित मानकों के अनुरूप होगा।

(5) यदि कोई महाविद्यालय/संस्था पांच वर्ष या उससे अधिक से स्थापित है या उसकी मान्यता का स्तर उत्कृष्ट है, तब यह महाविद्यालय/संस्था अपनी स्थापना के लिखत की प्रति, विगत पाँच वर्ष की लेखा–परीक्षा और राज्य सरकार या राज्य के विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मान्यता की प्रति साक्ष्य में प्रस्तुत करेगा।

(6) विश्वविद्यालय की शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समिति जिसमें शैक्षिक समिति, शिक्षा नीति समिति का अध्यक्ष भी सम्मिलित है, सम्बद्धता के लिए आवेदन करने वाले महाविद्यालय/संस्था का निरीक्षण करेगी और उसकी संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट के प्ररूप पर स्पष्ट रूप से सम्बद्धता प्रदान करने या नहीं करने का कारण अंकित करेगी।

(7) शैक्षिक (विद्वत) परिषद् उपर्युक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इसके निर्णय हेतु अपनी संस्तुति के साथ कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगी।

(8) किसी मामले में कार्य परिषद् महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लेती है, तो विश्वविद्यालय सम्बद्ध होने वाले महाविद्यालय/संस्था की कोई वित्तीय या अन्य उत्तरदायित्व संबंधी विरासती बाध्यताएं स्वीकार नहीं करेगा।

(9) इस प्रकार सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय के शिक्षण को बनाए रखने की अपेक्षाओं की शाश्वत आधार पर पूर्ति करेगी।

(10) शैक्षिक (विद्वत) परिषद् को सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्था के किसी भी मामले में विचार–विमर्श करने और शिक्षकों की नियुक्ति तथा हटाने सहित आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार होगा।

(11) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था जिसे सम्बद्धता की अनुज्ञा प्रदान कर दी गई है, विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर जिसमें सम्बद्धता की शर्तें और निबंधन का विवरण अंकित हो, हस्ताक्षरित करेगी।

(12) दून विश्वविद्यालय की शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर किसी महाविद्यालय/संस्था के द्वारा उसके और विश्वविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों और निबंधनों का उल्लघन करने या किसी अन्य कारण से दून विश्वविद्यालय सम्बद्धता प्रत्याहरित कर सकता है।

30–स्कूल सोसाइटी और विश्वविद्यालय छात्र परिषद [धारा 22 (च)]–

(1) पूर्णकालिक/नियमित पंजीकृत छात्र अध्ययन केन्द्र में सह–पाठ्येत्तर, अतिरिक्त पाठ्येत्तर, सांस्कृतिक, खेल और क्रीड़ा तथा अन्य गतिविधियों के जो स्कूल का शैक्षणिक और बौद्धिक विकास करें, विभिन्न आयोजनों के लिए स्कूल सोसाइटी का गठन कर सकते हैं। स्कूल सोसाइटी की कार्यकारी समिति को विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्कूल से प्रवेश वर्ष के प्रत्येक बैच के छात्रों में से दो पंजीकृत पूर्व स्नातक कक्षाओं से और दो छात्र परास्नातक कक्षाओं (शोध छात्रों सहित में) से कुल चार सदस्य चुने जाएंगे। सोसाइटी की निर्वाचित कार्यकारी समिति सदस्य उनके पदाधिकारी चुनेंगे। अभ्यर्थियों की अर्हता और पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय, परन्तु यह कि चुनाव लड़ने वाले की आयु चुनाव होने वाले वर्ष की 30 जून को 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) दो पंजीकृत प्रतिनिधियों से जिनमें एक शोध सहित परास्नातक का छात्र और दूसरा स्कूल के पूर्व स्नातक में से विश्वविद्यालय छात्र परिषद् से अध्ययन केन्द्र के लिए चुने जाएंगे। अभ्यर्थियों की अर्हता और पदाधिकारियों की चुनाव की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए, परन्तु यह कि चुनाव लड़ने वाले की आयु चुनाव होने वाले वर्ष की 30 जून को 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी। शोध छात्र के मामले में आयु सीमा 28 वर्ष होगी।

(3) चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी–

(क) भ्रष्ट चुनाव आचरण में आसक्त नहीं होगा,
(ख) सामुदायिक और जातीय अपील नहीं करेगा,
(ग) प्रकाशित पोस्टर और बैनर नहीं लगाएगा,
(घ) विश्वविद्यालय के भवनों तथा उसके ढाँचे को चिपकाए जाने वाले पोस्टर तथा लिखित नारों से विरूपित नहीं करेगा, और
(ङ) वित्त की याचना या किसी सम्भाग से किसी प्रकार की अन्य सहायता सद्भावी छात्रों में से स्वैच्छिक अंशदान के अतिरिक्त प्राप्त नहीं करेगा।

(4) स्कूल सोसाइटी और विश्वविद्यालय छात्र परिषद् एक शैक्षिक सत्र के लिए कार्यरत रहेगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए चुनाव में आने वाले व्यय की सीमा, अर्हता और आचार संहिता विहित की जाएगी।

(5) स्कूल सोसाइटी और विश्वविद्यालय छात्र परिषद् कार्यकारी समिति के भाग हुए बिना संकाय को सुकर बनाए जाने की दृष्टि से सहायता दी जा सकती है, इन की श्रेणी वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक या प्राध्यापक की होगी।

(6) इन दो संस्थाओं द्वारा विभिन्न छात्र गतिविधियों को आयोजित करने का प्रस्ताव अधिष्ठाता छात्र कल्याण सम्बन्धित संकाय जिसे सहायता देना सुकर बनाया जाय, चक्रीय क्रमानुसार होगा।

(7) कुलपति स्कूल सोसाइटी की कार्यकारी समिति या विश्वविद्यालय छात्र परिषद् को केन्द्रीय अनुशासन समिति या स्वयं, यदि उसका समाधान हो जाय कि सोसाइटी या समिति की गतिविधियां विश्वविद्यालय के सम्बन्धित स्कूल में अनुशासन और निरन्तरता को संचालित करने में अक्षम हो गई है, तो भंग कर सकता है।

31—पूर्व छात्र संगम संगठन (धारा 22)—

विश्वविद्यालय में विहित सदस्यता शुल्क लेकर एक पूर्व छात्र संगम संगठन स्थापित किया जायेगा। संगठन विहित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यकारी समिति का चुनाव करेगा। अधिष्ठाता छात्र कल्याण संगठन के क्रियाकलापों को संचालित करने में सहायता प्रदान करेगा।

32—मुख्य छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, सहायक छात्रावास अधीक्षक (धारा 22)—

विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्रावास के लिए एक छात्रावास अधीक्षक होगा, जो अपेक्षित निवास और खानपान तथा छात्रों के कल्याण की देख—रेख करेगा। छात्रावास अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा विहित छात्रावास में नियमों का कड़ाई से पालन हो। छात्रावास अधीक्षक, मुख्य छात्रावास अधीक्षक, को जो उस स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) होगा, जिसमें संबंधित स्कूल का छात्र नामांकित हो, और अधिष्ठाता छात्र कल्याण समय—समय पर छात्रावास से सम्बन्धित मामलों के बारे में रिपोर्ट देगा। प्रत्येक छात्रावास के लिए दिन—प्रतिदिन के क्रियाकलापों में सहायता दिए जाने के लिए एक सहायक छात्रावास अधीक्षक हो सकता है।

33—छात्र परामर्श पद्धति और छात्र चिन्हीकरण संख्या (धारा 22)—

विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों की निश्चित संख्या किसी संकाय सदस्य को सौंप कर छात्रों एवं संकाय के मध्य आपसी संवर्धन के लिए छात्र परामर्श समिति बनाकर युक्ति कर सकेगा। संकाय सदस्य, पथप्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा और उसको सौंपे गए छात्रों के शैक्षणिक तथा अन्य सभी दार्शनिक मामलों का सम्पादन करेगा। वह उसकी युक्ति की नियमित रूप से शैक्षणिक कार्य और जब यदि आवश्यक हो तो उसके माता—पिता से सम्पर्क करेगा। प्रत्येक छात्र के लिए कुलसचिव कार्यालय प्रवेश के समय एक चिन्हांकन संख्या जारी करेगा, जिस पर उसका अन्त तक स्थायी अधिकार होगा। छात्रों से संबंधित सभी मामलों पर उसकी पहचान संख्या के प्रयोग के साथ कार्यवाही की जाएगी।

34—परामर्शी एवं व्यावसायिक सेवाएं (धारा 22)—

(1) विश्वविद्यालय कुलपति से इस निमित्त अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को परामर्शी और व्यावसायिक कार्य लेने, उदाहरणार्थ पाठ्यक्रम/शैक्षणिक कार्यक्रम का विकास, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी, व्याख्यान देने, बोर्ड या समिति की सदस्यता को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सरकारी या निजी अभिकरणों में अनुमति दे सकता है।

(2) बाह्य अभिकरणों द्वारा याचित परामर्शी और व्यावसायिक सुविधा के लिए विश्वविद्यालय या सम्बन्धित स्कूल/संकाय सदस्य से ऐसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट या मामले जिसके लिए ऐसी सेवा प्रार्थित है, उसका विवरण देते हुए सम्पर्क कर सकता है, सम्बन्धित स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) प्रोजेक्ट को लिए जाने हेतु विशेषज्ञ को चिन्हित करेगा।

(3) परामर्शी सुविधाएं संकाय को एक वर्ष में अधिकतम 50 दिनों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

(4) परामर्श से सम्बन्धित प्राप्त होने वाले व्यावसायिक शुल्क का 40 प्रतिशत सीधे विश्वविद्यालय की विकास निधि में जमा किया जायेगा। शुल्क का बाकी 60 प्रतिशत आय में से नियत कार्य के लिए हुए व्यय को कम करके अवशेष धनराशि उक्त कार्य में संलिप्त संकाय सदस्य को देनी होगी।

(5) परियोजना आकलन रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया, परामर्श सेवा की शर्तें परामर्शी और व्यावसायिक नियत कार्य और कुल बचत के संवितरण की रीति तथा अन्य विषय शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

35–सेवानिवृत्ति की आयु (धारा 22)–

(1) विश्वविद्यालय के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष होगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को (स्थायी या अस्थायी) 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त बिना किसी कारण बताए विश्वविद्यालय के हित में तीन माह का नोटिस देकर या इस क्रम में तीन माह का वेतन भुगतान करने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त कर सकता है। विश्वविद्यालय का कोई कार्मिक 45 वर्ष की आयु या विश्वविद्यालय में 20 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त तीन माह के नोटिस पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर सकता है।

(3) कर्मचारी, राज्य सरकार के कार्मिकों के समरूप अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ यदि कोई हो, प्राप्त करेगा, परन्तु यदि कोई कार्मिक सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त कर रहा हो, विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करता है तो विश्वविद्यालय उसके हित में राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप संरक्षण दे सकता है।

36–अवकाश नियम (धारा 22)–

(1) विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कार्मिकों को छोड़कर, समस्त कार्मिकों पर यह अवकाश नियम लागू होंगे।

(2) अवकाश को किसी भी प्रकार से अधिकारस्वरूप नहीं लिया जायेगा और विश्वविद्यालय के हित में किसी अवकाश को उपभोग करने से मना किया जा सकता है, कटौती की जा सकती है या अवकाश पर गए कार्मिक को वापस बुलाया जा सकता है।

(3) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) और अन्य आय–व्ययक नियंत्रक अधिकारियों के अवकाश कुलपति द्वारा स्वीकृत किए जायेंगे। संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता), केन्द्रीय/प्रभागीय और नियंत्रक अधिकारी उनके अधीन कार्यरत कार्मिकों के अवकाश स्वीकृत करेंगे। कार्मिक जिन तिथियों में वास्तविक अवकाश का उपभोग किया जाएगा, इंगित करेंगे।

(4) शिक्षकों को स्वीकृत होने वाले अवकाश स्थायी कार्मिकों को अनुमन्य होंगे। विश्वविद्यालय के कार्मिकों को अनुमन्य होने वाले अवकाश निम्नलिखित होंगे :–

(क) आकस्मिक अवकाश–एक कलैण्डर वर्ष में 14 दिन, जिसे आगामी कलैण्डर वर्ष में अग्रेत्तर नहीं किया जायेगा।

(ख) उपार्जित अवकाश–कार्मिक पूर्ण वेतन पर उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकेंगे, परन्तु मात्र ग्रीष्म/शीतकालीन अवकाश लेने वाले शिक्षक 1/30 दिन का अवकाश उपार्जित करेंगे। उपार्जित अवकाश एक बार में भारत में अधिकतम 4 माह की या विदेश में 6 माह की अवधि का उपभोग किया जा सकता है। अधिकतम अवकाश की अवधि 300 दिनों तक संचयन की जा सकती है, इसके पश्चात् संचयन होने वाले उपार्जित अवकाश समाप्त हो जायेंगे।

(ग) अर्ध–औसत वेतन अवकाश–शिक्षक तथा विश्वविद्यालय के अन्य कार्मिक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में 365 दिन और एक कलैण्डर वर्ष में 31 दिन के अर्द्ध–औसत वेतन अवकाश के लिए हकदार होंगे। ऐसे अवकाश की अधिकतम अवधि भारत में एक बार में 90 दिन और विदेश में 180 दिन की अनुमति दी जाएगी। विश्वविद्यालय में गत दो वर्ष से कार्य कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को 60 दिन का अर्ध–औसत वेतन अवकाश दिया जाएगा। अस्थायी कर्मचारियों को अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में 120 दिन के अवकाश की अनुमति होगी।

(घ) असाधारण अवकाश–यदि कार्मिक के पास कोई अन्य अवकाश देय नहीं हो तो विशेष परिस्थितियों के अधीन बिना वेतन असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यह अवकाश केवल उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने या चिकित्सकीय कारणों से स्वीकृत किया जा सकेगा। यह अवकाश कार्मिक की सेवा अवधि के दौरान दो बार स्वीकृत किया जा सकता है। प्रथम अवकाश विश्वविद्यालय में तीन वर्ष की सेवा के उपरान्त स्वीकृत किया जायेगा। कार्मिक को यह अवकाश दूसरी बार छः वर्ष की सेवा पर पूर्व में उपभोग किए गए अवकाश की अवधि जिसमें दो अवकाशों के मध्य तीन वर्ष का अंतर हो, को छोड़कर स्वीकृत किया जा सकेगा। यह असाधारण अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में पांच वर्ष से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ङ) मातृत्व अवकाश–यह अवकाश महिला कार्मिकों के लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप 135 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।

(च) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश–

(एक) स्थायी कार्मिक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 12 महीनों का चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश उपभोग कर सकेगा। यदि उपार्जित अवकाश के साथ यह अवकाश उपभोग किया जाता है, तो इसकी अवधि एक बार में 8 माह से अधिक नहीं होगी। यह अवकाश सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाणपत्र कुलपति को प्रस्तुत कर उपभोग किया जा सकता है।

(दो) अस्थायी कार्मिक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम चार महीनों का चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश का उपभोग कर सकेगा। उपार्जित अवकाश के साथ अवकाश लेने पर एक बार में 8 माह से अधिक का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यह अवकाश सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाणपत्र पर नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करने पर उपभोग किया जा सकेगा। यह अवकाश जिस पद से कार्मिक अवकाश पर गया है, अपने कार्य पर वापस आने तक की शर्त के अध्ययाधीन स्वीकृत किया जा सकेगा।

(छ) विश्राम दिवस संबंधी अवकाश–विश्वविद्यालय का कोई नियमित शिक्षक जिसने विश्वविद्यालय की न्यूनतम चार वर्षों की सेवा कर ली हो, उन्नत शोध कार्य करने के लिए पूर्ण वेतन पर एक वर्ष का विश्राम दिवस संबंधी अवकाश उपभोग कर सकता है और उसे यह वचन देना होगा कि वापस आने पर विश्वविद्यालय के लिए अगले दो वर्ष की सेवा करेगा तथा असफलता पर ऐसा शिक्षक प्राप्त अवकाश वेतन, अंशदायी भविष्य निधि, ब्याज की दर सहित, वापस करेगा। किसी शिक्षक को विश्राम दिवस संबंधी अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि पूर्व में विश्राम दिवस संबंधी स्वीकृत अवकाश तथा आवेदित अवकाश में 6 वर्ष का समय व्यतीत न हो गया हो। शिक्षक संस्था में जहां विश्राम दिवस संबंधी अवकाश व्यतीत कर रहा है, शोध अध्ययेतावृति या कोई अन्य पारिश्रमिक नियुक्ति स्वीकार कर सकता है। शिक्षक द्वारा ऐसे स्रोत से प्राप्त धनराशि अवकाश अवधि के दौरान विश्वविद्यालय से प्राप्त अवकाश वेतन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

(ज) ड्यूटी अवकाश–शिक्षक को मुख्यालय से बाहर किसी अन्य संगठनों में पदीय बैठक में प्रतिभाग करने, परीक्षाएं आयोजित करने और अपनी व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के प्रयोजन से अन्य संस्थाओं/संगठनों में भ्रमण हेतु एक कलैण्डर वर्ष मे 25 दिन के लिए ड्यूटी अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(झ) अध्ययन अवकाश–शिक्षकों को विश्वविद्यालय की दो वर्ष की सेवा के पश्चात् अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में परास्नातकीय/डॉक्टरेट कार्यक्रमों या अन्य किसी परास्नातकीय कार्यक्रम के अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा :–

(एक) यदि कोई शिक्षक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यू0आई0पी0)/संकाय सुधार कार्यक्रम (एफ0आई0पी0) कार्यक्रम के अधीन सरकार या सरकारी संस्था से प्रायोजित या नामित किया जाता है या कुलपति की अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी अभिकरण से छात्रवृत्ति/अध्ययेतावृत्ति प्राप्त करता है, तो उसे अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। सरकार या सरकारी संस्था से प्रायोजित अभ्यर्थी के मामले में अध्ययन अवकाश की अवधि का वेतन और भत्ते विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रतिस्थानी को देने के लिए वचन देगा। अवकाश सम्बन्धित स्कूल द्वारा प्रतिस्थानी के दिए बिना प्रार्थना करने पर अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। अध्ययन अवकाश पर गया शिक्षक अवधि का अनुमन्य पूर्ण वेतन महंगाई भत्ता सहित प्राप्त करेगा। अध्ययन अवकाश पर जाने वाला शिक्षक कोई अध्ययेतावृत्ति, छात्रवृत्ति या अन्य यात्रा छूट अध्ययन अवकाश की अवधि में किसी बाह्य अभिकरण से स्वीकार कर सकता है।

(दो) कोई शिक्षक जो उपरोक्त खण्ड (एक) से आच्छादित नहीं होता है, वह अध्ययन अवकाश उसे अनुमन्य उपार्जित अवकाश का पूर्ण वेतन या अर्ध वेतन पर महंगाई भत्ता सहित उपभोग कर अवकाश पर जा सकता है।

(तीन) सामान्यतया अध्ययन अवकाश परास्नातकीय मामले में दो वर्ष और डाक्टरेट कार्यक्रम हेतु तीन वर्ष का होगा, जिसे कुलपति प्रत्येक मामले में आपवादिक परिस्थितियों में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है।

(चार) शिक्षक यह वचन देगा कि वह वापस आने पर अध्ययन अवकाश के एक वर्ष के लिए न्यूनतम दो वर्ष की सेवा देगा, अन्यथा वह विश्वविद्यालय द्वारा अवकाश अवधि के दौरान भुगतानित की गयी राशि के बराबर धनराशि अंशदायी भविष्य निधि की दर से आगणित कर विश्वविद्यालय को भुगतान करेगा।

(पाँच) अध्ययन अवकाश में गया शिक्षक नियमित रूप से उसे अनुमन्य वार्षिक वेतनवृद्धि और विश्वविद्यालय अंशदान भविष्य निधि में विश्वविद्यालय को देने की अनुमति होगी।

(छः) कोई शिक्षक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार अध्ययन अवकाश का उपभोग कर सकता है।

(ञ) प्रतिनियुक्ति– प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप किसी कार्मिक/शिक्षक को अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत की जा सकती है।

37–भविष्य निधि (धारा 22)–

(1) विश्वविद्यालय में सभी नियुक्तियां अंशदायी भविष्य निधि की योजना के अधीन की जाएंगी। पेंशन योजना के लिए केवल उन्हीं कर्मचारियों पर विचार किया जायेगा जो ऐसे संगठन से विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण करते समय राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि सहित पूर्व पेंशन योजना से आच्छादित थे।

(2) सभी नई नियुक्तियां शासनादेश संख्या 21/XXIV(2) अंशदायी पेंशन योजना/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के प्राविधानों के अधीन की जाएंगी, कर्मचारी तद्नुसार सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त करेंगे।

38–सेवानिवृत्तिक उपादान–

विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्तिक उपादान विश्वविद्यालय द्वारा विहित शर्त एवं निर्बन्धन के अधीन अनुमन्य किया जाएगा।

39–यात्रा एवं अन्य भत्ते [धारा 22 (च)]–

(1) प्राधिकारियों और समितियों की बैठकों में प्रतिभाग करने और पदीय कार्यों के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का भुगतान निवास स्थान से बाहर के लिए भुगतान किया जाएगा।

(2) सदस्य को उसके मूल विभाग में अनुमन्यता श्रेणी के आधार पर लघुत्तम मार्ग द्वारा मील/आकस्मिक व्यय सहित सामान्य आवास या जहाँ से यात्रा प्रारम्भ की है, जो भी कम हो, से रेल/सड़क किराया भुगतान किया जाएगा। यदि सदस्य अपने सामान्य आवास से अपने सामान्य दायित्वों के कारण बाहर हो और वहां से यात्रा प्रारम्भ करता है, तो उसे यात्रा भत्ता दावा उसी अनुरूप अनुमन्य होगा। आपवादिक मामलों में कुलपति उच्च श्रेणी या हवाई यात्रा की अनुमति दे सकता है।

(3) टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए उच्च श्रेणी की एक सीट तथा उसका आधा किराया स्थिति की अत्यावश्यकता पर और आपवादिक परिस्थितियों में कुलपति, परीक्षक, चयन समिति के सदस्य, विशिष्ट अतिथि या अन्य किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा विहित दरों पर यात्रा भत्ता का भुगतान विश्वविद्यालय हित में करने के लिए टैक्सी या स्वयं के वाहन से यात्रा करने की अनुमति दे सकता है।

(4) कोई सदस्य विश्वविद्यालय की बैठक या पदीय कार्य के लिए सामान्य आवास से अन्यत्र जाता है तो वह विराम भत्ता राज्य सरकार के समरूप स्तर के अधिकारी को अनुमन्य बैठक या पदीय कार्य के लिए बैठक में प्रतिभाग करने के प्रत्येक दिन या पदीय कार्य के लिए विराम की अवधि के किसी प्रतिबंध के बिना बीच की छुट्टियों के लिए विराम भत्ता आहरित करेगा। यदि सदस्य विश्वविद्यालय की दो या दो से अधिक बैठकों में प्रतिभाग करता है और बैठकों के बीच 4 दिन का व्यवधान है तो उसे उपरोक्त दरों पर बीच के दिनों के लिए भी विराम भत्ता का दावा करने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते वह बैठक या पदीय कार्य के स्थान पर ठहरता हो।

(5) निम्नलिखित गैर पदीय सदस्य,–

(क) सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी को जिसे सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी परिलब्धियों के आधार पर यात्रा भत्ता नियमों के अधीन अनुमन्य हो, और यदि यह सुविधा सरकार में ऐसे अधिकारियों को अद्यतन उपलब्ध हो,

(ख) किसी शासकीय और निजी संगठन के साथ सहयुक्त व्यक्ति जिसे ऐसी सुविधा उक्त संगठन के नियमों या आदेशों के अधीन अनुमन्य हो,

(ग) कोई व्यक्ति जिसने अपनी निजी पदीय यात्रा में यह सुविधा ली हो या जिसने वातानुकूलित कोच में बीमारी, अधिक आयु या अंग शैथिल्य के कारण यात्रा की हो, को वातानुकूलित कोच या हवाई जहाज में यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है,

(6) विश्वविद्यालय के अधिकारियों को छोड़कर प्राधिकरणों और समितियों के पदेन सदस्य ऐसे नियमों के अधीन अनुमन्य यात्रा भत्ता तथा विराम भत्ता का दावा करेंगे जैसा विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित किया जाए,

(7) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को–

(क) पदीय कार्यों के लिए की गई यात्रा हेतु सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनधारी के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अवधारित भत्ता और विराम भत्ता अनुमन्य होगा,

(ख) विश्वविद्यालय के हित में कुलपति आपवादिक परिस्थितियों तथा अपरिहार्य स्थिति में हवाई यात्रा करने की अनुमति दे सकता है।

(8) विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् ऐसे मामलों में जो इन परिनियमों से आच्छादित नही होंगे, यात्रा भत्ता दरें अवधारित कर सकती हैं।

(9) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा उसके कर्मचारियों को समय-समय पर अनुमोदित और परिवर्धित दर पर संदाय किया जाएगा।

40-डिग्री और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना (धारा 24)-

(1) परिनियम 16 में विवर्णित विश्वविद्यालय के स्कूलों में शोध, परास्नातक और स्नातक स्तर की डिग्री, मानद डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा प्रस्तावित तथा कार्य परिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा शर्तों के अध्याधीन संस्थित की जाएगी। डिग्रियों को विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में संस्थित किया जाएगा, इसके लिए अध्यादेशों/विनियमों में नियम विहित किए जायेंगे।

(2) मानद उपाधियों को संस्थित किए जाने के लिए प्रस्ताव विश्वविद्यालय के कुलपति और संकायों के संकायाध्यक्षो (अधिष्ठाताओं) से गठित समिति करेगी। यदि शैक्षिक (विद्वत) परिषद् और कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो पुष्टि के लिए कुलाधिपति को प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

(3) शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा निर्धारित अध्यादेशों/विनियमों में उपबंधित निबन्धनों के अधीन प्रदान की गई डिग्री विश्वविद्यालय वापस ले सकता है।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक डिग्री को प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षाएं अध्यादेशों/विनियमों में विहित की जाएंगी।

41-अध्येयतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा अन्य पुरस्कार-

कार्य परिषद् शैक्षिक (विद्वत) परिषद् की संस्तुति पर अध्ययेतावृत्ति छात्रवृत्ति, पदक तथा अन्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की नीति का अनुमोदन करेगी। ऐसा अनुमोदन स्वयं अथवा अध्ययन केन्द्र की संस्तुति पर दिया जा सकता है।

42-अध्यादेश (धारा 24)-

(1) अधिनियम तथा इन परिनियमों के प्राविधानों के अध्यधीन विश्वविद्यालय अध्यादेशों में छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखने तथा उनके छात्रावास में निवास उदार शिक्षा के प्राविधान और संस्थाओं का निरीक्षण, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित प्रयोगशालाएं और इकाईयां और विश्वविद्यालय के शिक्षकों की संख्या, अर्हताएं, परिलब्धियां, प्रोत्साहन और शर्तें तथा निबन्धन उपबन्धित कर सकता हैं।

(2) प्रवेश, नामांकन, परीक्षाएं, परीक्षकों की नियुक्तियां, शुल्क ढांचा और किसी अन्य छात्र या संकाय से संबंधित मामलों में कार्य परिषद् द्वारा शैक्षिक (विद्वत) परिषद् की संस्तुति प्राप्त करने के उपरान्त अध्यादेश बनाए जा सकते हैं। कार्य परिषद् संस्तुतियों या उसके किसी भाग को शैक्षिक (विद्वत) परिषद् के पुनर्विचार के लिए अपने स्तर पर बिना किसी उपान्तरण या संशोधन किए संदर्भित कर सकती है। यदि शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा उस पर पुनर्विचार कर लिया गया है तो शैक्षिक (विद्वत) परिषद् की कोई संस्तुति दोबारा वापस लौटायी नहीं जायेगी।

(3) अध्यादेश में संशोधन कार्य परिषद् द्वारा शैक्षिक (विद्वत) परिषद् की संस्तुति पर किए जा सकते हैं।

43-विनियम (धारा 25)-

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत निम्नलिखित विनियम बना सकेंगे :-

(क) बैठकों को आहूत करने, बैठकों की गणपूर्ति और बैठकों के अभिलेखों के रख-रखाव की प्रक्रिया,

(ख) पाठ्यक्रमों से संबंधित विहित मामले/परिक्रियाएं और शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन से संबंधित मामले जो अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों में उपबन्धित नहीं हैं,

(ग) उनके द्वारा नियुक्त प्राधिकारियों और समितियों से संबंधित मामले में जो अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों में उपबंधित नहीं हैं, और

(घ) अन्य कोई मामले जो प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक समझे जाएं.

(ङ) शैक्षिक विनियम कार्य परिषद् द्वारा स्वयं अथवा स्कूल संकाय परिषद्/परिषदों की संस्तुति पर संशोधित किए जा सकते हैं।

आज्ञा से,

अंजली प्रसाद,
सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 09–5–2009, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 शिक्षा/271–15–5–2009–100 (कम्प्यूटर/रीजियो)